सं. 2(1)सीएसी/प्रवर्तन-II/2013/एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
तृतीय एवं चतुर्थ तल, एफडीए भवन, कोटला रोड़,
नई दिल्ली–110002

दिनांकः 09.05.2013

विषयः दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को एफएसएसएआई, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को एफएसएसएआई, नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की नौवीं बैठक का कार्यवृत अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

अतः, अनुरोध है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को भेज दें, अन्यथा इस कार्यवृत्त को अंतिम माना जाएगा।

(डा. डी.एस. यादव)
उपनिदेशक (तक.)
फोन नं.: 011–23231681
ईमेलः dsyadav@fssai.gov.in

सेवा मेंः संलग्न सूची के अनुसार

सूची

1. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386004 ई–मेलः secy-agri@nic.in
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061252 ई–मेलः secyhfw@nicmail.in
3. सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23388006 ई–मेलः secyahd@nic.in
4. सचिव (एफएंडपीडी), खाद्य एव सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386052 ई–मेलः secy-food@nic.in
5. सचिव (सीए), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23384716, ईमेलः secy-ca@nic.in
6. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049, फैक्सः 26493012, ईमेलः secy.hub@nic.in
7. वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061796 ईमेलः csoffice@nic.in
8. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23063045, ई–मेलः secretary-msme@nic.in
9. सचिव (पीआर), पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23389028, ई–मेलः secy-mopr@nic.in
10. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24361896, ई–मेलः envisect@nic.in
11. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23381495, ई–मेलः secy.wcd@nic.in
12. सचिव, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24362884 ई–मेलः mkbhan@dbt.nic.in

उपरोक्त उल्लेखित मंत्रालय/विभाग से अनुरोध किया जाता है कि कृपया बैठक में उपस्थित होने के लिए जेएस स्तर के अधिकारी को मनोनीत करने पर प्राथमिकता दें परंतु वे निदेशक श्रेणी से कम न हों।

13. श्री सतीश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर तथा नियंत्रक, औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन, राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, पटौली–मंगोट्रीयन, जम्मू–180007, जम्मू एवं कश्मीर। टेलीफैक्सः 0191– 2538527, 2538626, ई–मेलः controllerdrugsfood@yahoo.in
14. श्री डीडी. अग्रवाल (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त मध्य प्रदेश और नियंत्रक औषधि (खाद्य एवं औषधि प्रशासन), मध्य प्रदेश सरकार, ईदगाह हिल्स, भोपाल–462001, टेलीफैक्सः 0755–2665385, 2660690, ई–मेलः agrawal_dd111@live.in
15. डा. बी.आर. मीना, खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजस्थान और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005, टेली–फैक्सः 0141–2229858, ई–मेलः directorph-rj@nic.in
16. श्रीमती पूनम मलकोदिह, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निवारक चिकित्सा संस्थान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और खाद्य (स्वास्थ्य) प्रशाासन, ए.पी., नरयाणागुडा, हैदराबाद–500029, टेलीः 040–24650365 फैक्सः 040–24652267, ई–मेलः peshichfw@gmail.com
17. डा. एच.जी. कोशिया, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं 8, प्रथम तल, डा. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर–382010, गुजरात। टेलीफोनः 079–23253417, 23253399, फैक्सः 079–2325333400, ई–मेलः hkoshia@yahoo.co.in, comfdca@gujarat.gov.in
18. श्री बिजु प्रभाकर (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त केरल, कार्यालयः खाद्य सुरक्षा आयुक्त केरल, थाइकुड, पीओ थिरूवनंथपुरम–695014, टेलीः 0471– 22322833, 2322844 फैक्सः 0471–2322855, ई–मेलः foodsafetykerala@gmail.com
19. श्रीमती हसन लाल (आईएएस) एवं एमडी पंजाब हेल्थ सिस्टम कार्पोरेशन एवं सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एसआईएचएफडब्ल्यू कॉम्पलैक्स, फेज–6, समीपवर्ती सिविल अस्पताल, एसएएस नगर, मोहाली – 160056, पंजाब। टेलीः 0172–2266930, 2266935, फैक्सः 0172–2266936, ईमेलः phschd@yahoo.com, md_phsc@yahoo.in, hsg_68@yahoo.co.in
20. श्री कुमार जयंत (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कार्यालयः आयुक्त, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, अरूमबक्कम, अन्ना नगर, चेन्नई–600106, टेलीः 044–26214718, 4335075, ईमेलः commrfssa@gmail.com
21. श्री देबाशीस बोस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त पश्चिम बंगाल और संयुक्त सचिव पश्चिम बंगाल सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तृतीय तल, विंग ''बी'',

जीएन–29, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकोता–7000091, टेलीफैक्सः 033–23330231, ईमेलः pd_wbsapcs@wbhealth.gov.in

22. श्री के.जे.आर. बर्मन (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त दिल्ली, खाद्य सुरक्षा विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, ए–20, लारेंस रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड़, दिल्ली–110035, टेलीः 011–27194858, फैक्सः 011–27153846, ई–मेलः dirpfa@nic.in
23. श्री तपे बागरा, (आईएएस), आयुक्त (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश–791111, टेली–फैक्सः 0360–2212391 फैक्सः 0360–2211396, ई–मेलः tapebagra@gmail.com, arunachalfoodsafety@yahoo.co.in
24. श्री जी. रागेशचंद्रा, सचिव स्वास्थ्य और राजस्व, स्थानीय प्रशासन विभाग, मुख्य सचिवालय, गोबर्ट एवेन्यू, पुडुचेरी–605001, टेली–फैक्सः 0413–2334144, ई–मेलः secylad@pon.nic.in
25. श्री महेश जगाडे (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त महाराष्ट्र और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र, एस.नं. 341, बान्द्रा कुर्ला, कॉम्पलैक्स, मधुसूदन कालेकर मार्ग, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई–400051, टेलीः 022–26592207, 26590548, फैक्सः 022–26591959, ईमेलः comm.fda-mah@nic.in
26. श्री सलीम ए, वेलजी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा, पुराना आईपीएचबी कॉम्पलैक्स, अलथिनो–पणजी, गोवा–403001 टेलीः 0832-2220245, फैक्सः 0832-2224639, ईमेलः s2veljee@yahoo.co.in
27. श्री कमलप्रीत सिंह (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त छत्तीसगढ़ और नियंत्रक, खाद्य और औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार, कमरा सं. 322, मंत्रालय, रायपुर–492001, टेलीः 0771-4080322 फैक्सः 0771-2221322, 0771-40368900 ईमेलः kpsdhillon@gmail.com
28. श्रीमती अलका दीवान (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त दमन एवं दीव और कलक्टर, ओआईडीसी कैम्पस, संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव, सचिवालय फोर्ट क्षेत्र के निकट, मोती दमन–396220 टेलीः 0260-2230470, 2230689 फैक्सः 0260-2230570, ईमेलः collectordaman@gmail.com
29. श्री अनिल कुमार (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, चौथा तल, चंडीगढ़ यूटी सचिवालय, डिलक्स बिल्डिंग, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017, टेलीफैक्सः 0172-2740045, ईमेलः gulshangirdhar@yahoo.com, birsat80@yahoo.co.in
30. डा. राकेश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा और मिशन निदेशक एनआरएचएम, खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार, प्रयत्न भवन, बेज़ 55–58, सेक्टर 2, पंचकुला, हरियाणा, टेलीः 0172- 2573922 फैक्सः 0172-2580466, ईमेलः md-hrnrhm@nic.in

31. श्री एस. रामास्वामी, आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार, 4–सुभाष रोड़, सचिवालय, देहरादून–248001, उत्तराखंड। फोनः 0135-2711718, 2712061 फैक्सः 0135-2712113 ईमेलः healthsecyuk@gmail.com
32. श्री हेमंत राव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त उ.प्र., खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 9, जगत नारायण रोड़, उत्तर प्रदेश–226018, टेली : 0522-2258101/2258102/2258103, फैक्सः 0522–2258102, ईमेलःcommissionerfda.up@gmail.com, fdaupgov@gmail.com
33. डा. बी.के. पांडा, निदेशक, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, विभाग प्रमुख भवन, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा–751001, ओडिसा, टेलीः 0674-2396977 फैक्सः 0674-2390674 ईमेलः dph.orissa@gmail.com
34. डा. एस. के. पाल, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय, डीएचएस कार्यालय, पोर्टब्लेयर–744102, टेलीः 03192-233331, फैक्सः03192-232910, ईमेलः drsk_paul@yahoo.co.in
35. श्री एम. हेगजर (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा असम और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहटी–781006, टेली–फैक्सः 0361-2237331
36. श्री राम मुवाह (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त मणिपुर और आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मणिपुर सरकार, कमरा नं. 233, पुराना सचिवालय, इंफाल, मणिपुर–795001, फोनः 0385-2450682, 2450513, फैक्सः 0385- 2456395, ईमेलः mchalai@yahoo.co.in
37. श्री जे.के. सिन्हा (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, प्रधान सचिव त्रिपुरा सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय कॉम्प्लैक्स, खेजूर बगान, त्रिपुरा सरकार, अगरतला–799006, त्रिपुरा। टेलीः 0381-2415058, फैक्सः 0381-2410145, ईमेलः dfwpm_agt@yahoo.co.in, sudipkin@yahoo.com
38. श्री सेंतीयागर इमचन, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव नागालैण्ड सरकार और पदेन आयुक्त खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, कोहिमा–797001, नागालैण्ड, फोनः 0370-2270457, फैक्सः 0370-2270062, ईमेलः holin_z@yahoo.co.in
39. श्री डी. पी. वहलांग (आईएएस), आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), कमरा नं. 315, अतिरिक्त सचिवालय भवन, शिलांग, मेघालय–793001, टेली–फैक्सः 0364-2226978, 2224354 ईमेलः dwahlang@yahoo.com, sangma.dcfs@gmail.com
40. डा. के. भंडारी, आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवाएं एवं परिवार कल्याण) विभाग, सिक्किम सरकार, तशिलंग, गंगटोक–737102, फोनः 03592-202633, फैक्सः 03592-2204481, ईमेलः healthsecyskm@yahoo.com

41. श्रीमती इस्थर लाल राउटकिमी, सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मिजोरम सरकार, सचिवालय, न्यू केपिटल कॉम्पलैक्स, एजावल–796001, मिजोरम, फोनः 0389- 2328895, फैक्सः 0389-2320162, 0389-2319240, ईमेलः secyhealthmiz@gmail.com, mspc.aizawl@gmail.com
42. श्री के. विद्यासागर (आईएएस), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरांडा, रांची–834002, टेलीः 0651-2491033, फैक्सः 0651-2490314, ईमेलः kasi_vidyasagar@yahoo.co.in, kavisahealth@gmail.com, drtpbarnwal@yahoo.com
43. श्री संजय कुमार (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, विकास भवन, नया सचिवालय भवन, पटना–800001, टेलीः 0612-2215809, 2281232, फैक्सः 0612-2224608, ईमेलः ed_shsb@yahoo.co.in, health-bih@nic.in
44. श्री अली रज़ा रिज़वी, आईएएस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एवं सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, एच.पी. सचिवालय, शिमला–171002 टेली–फैक्सः 0177-2621904, ईमेलः healthsecy-hp@nic.in, dhsr.hp@gmail.com
45. श्री जी.एस. मीना, आयुक्त खाद्य सुरक्षा और कलेक्टर, कलेक्टोरेट, सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली–396230 फोनः 0260-2642721, 2644203, फैक्सः 0260-2642787, ईमेलः collector-dnh@nic.in.
46. श्री वी.सी. पांडे, कलेक्टर एवं विकास आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, कवारती–682555, एचपीओ कोची, टेलीः 04896-262256, फैक्सः 04896-263180, ईमेलः lk-coll@nic.in
47. श्री वी.बी. पाटिल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त कर्नाटक और आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, शेषाद्री रोड़, बैंगलोर–560001 टेलीः 080-22354085, 22874039, फैक्सः 080-22285591, ईमेलः jdphilabs@gmail.com
48. प्रो. निर्मल कुमार गांगुली, सलाहकार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अरूण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली–110067
49. डा. अरनब हाजरा, निदेशक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फिक्की का फूड विंग)/रिटेल, फोन नंः 23738760-70 (विस्तार) 310, ईमेलः baskar@ficci.com
50. श्री प्रदीप चौरडिया, चौरडिया फूड प्रोडक्टस, 48/ए, पार्वती इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अदीनाथ सोसाइटी के सामने, पुणे–सतारा रोड़, पुणे–411009, टेलीः 09922990064, ईमेलःadmin@chordia.com, pradeep@chordia.com
51. डा. जे टोनपांयोगंडगं वेलिंग, गांव–सनग्रतसु, जिलाः मोकोकचंग, नागालैंड।
52. श्री अरूण बालामट्टी, 815, 7वां क्रास, बनशंकरी, तीसरा फेज, तीसरा ब्लॉक, तीसरी स्टेज, बैंगलोर–560085

53. श्री आर. देसीकन, फांउडर ट्रस्टी, कंसर्ट एडं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 3/242 राजेंद्र गार्डन, वेटुवनकेनी, चेन्नई–600041, टेली/फैक्सः (044)24494576, (044)24494578 ईमेलः nirdesi@gmail.com, cai.india1@gmail.com
54. श्रीमती केया घोष, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कोलकोता रिसोर्स सेंटर, 3 सुरेन टैगोर रोड़, दूसरा तल, कोलकोता–700019, प. बंगाल, टेलीफैक्सः 033-24604987, फोन 033-24604985, ईमेलः calcutta@cuts.org
55. डा. एस.पी. वेसीरेड्डी, अध्यक्ष एंव प्रंबध निदेशक, विमता लैब्स लिमिटेड, 142, आईडीए, फेज–II, चेरलापल्ली, हैदराबाद–500051, आंध्र प्रदेश, टेलीः 040-27264141, 040-27264444, फैक्सः 040-27263657, ईमेलः mdo@vimta.com
56. प्रोफेसर गोपाल नायक, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैगंलोर (आईआईएमबी), बैनरघटा रोड़, बैंगलोर–560076, फोनः 080-26993194, ईमेलः gopaln@iimb.ernet.in

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष के पीपीएस, एफएसएसएआई
2. सलाहकार(मानक) के पीएस,
3. निदेशक (एस) के पीएस
4. निदेशक (कोडेक्स एवं आयात) के पीएस
5. निदेशक (पीए) के पीएस
6. वैज्ञानिक (मानक) के पीएस
7. सारे संबधित अधिकारी, एफएसएसएआई

26 अप्रैल 2013 को एफएसएसएआई, नई दिल्ली मे आयोजित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त।

श्री के. चंद्रमौली, एफएसएसएआई अध्यक्ष ने केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की नौंवी बैठक के सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

अध्यक्ष ने अपने प्रथम अभिभाषण में राज्यो में लाइसेंस और पंजीकरण के मुद्दे को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जारी किए गए लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या संतोषजनक नहीं हैं, इसलिए उन्होने लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि को एक वर्ष और यानी 4 फरवरी 2014 तक बढ़ा दिया।

उन्होंने आगे कहा कि अगले आठ महीनों में सभी एफएसओ और डीओ को समान स्तर का प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि सभी राज्यों को समान रूप से एफएसएस अधिनियम 2006 समझने की जरूरत है और अधिनियम ठीक तरह से तभी लागू हो सकता है जब उस तरह की उपभोक्ता मांग हो और न कि केवल नीति बनाई जाए। प्रवर्तन स्तर या एफबीओ स्तर की असमझता को राज्य सरकारों द्वारा निपटाना चाहिए था, आखिरकार इस अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों के हाथ में था।

अंत में, अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की हर संभव तरीके से मदद करेगी परंतु प्राधिकरण एफएफएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संदर्भ में सभी राज्यों के बीच समान स्तर की समझता की आशा कर रहा था। बैठक निम्नलिखित कार्यसूची की चर्चा के साथ अग्रसर हुई।

कार्यसूची संख्या 1: 17 जुलाई 2012 को आयोजित सीएसी के आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति ने 17 जुलाई 2012 को आयोजित सीएसी के आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या 2: एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति।

बिहार, दमन एवं दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति को अधिसूचित किया गया। अध्यक्ष ने ऊपर उल्लेख राज्यों के मुख्य सचिव को इस समस्या के बारे में अवगत कराये जाने का सुझाव दिया। उन्होंने आगे राज्यों द्वारा की गई प्रगति और अधिनियम के कार्यान्वयन में आ रहे मुद्दों के बारे में पूछा।

1. महाराष्ट्र

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 27 डीओ, 291 एफएसओ, 7 एओ और 33 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 2,49,830 पंजीकरण और 1,25,042 लाइसेंस जारी किये जा चुके थे।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की।

घ) संचालन समितियों का गठन किया।

ङ) आज की तिथि तक बारह अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही थी।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि आज तक एफएसओ या डीओ के काम संभाल सकने की मात्रा का कोई विश्लेषण नहीं किया था, इस संबंध में उनके राज्य, राज्य मे उपस्थित सभी एफबीओ कि मैपिंग कर चुके थे और एफबीओ की संख्या के आधार पर एफएसओ को कार्य आवंटित किया था। इस प्रक्रिया ने लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने में बहुत मदद की थी। एसएमएस प्रणाली की स्थापना की गई थी और एफएसओ और डीओ दैनिक विवरण बनाते थे। उपभोक्ता संघों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से इस अधिनियम की जागरूकता को फैलाकर वे उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे थे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रशिक्षण मॉड्यूल को अद्यतन करने की जरूरत थी।

उन्होंने यह भी कहा कि लाइसेंस और पंजीकरण के लिए समय का विस्तार होने के बाद भी एफबीओ द्वारा आवेदनों का प्रवाह कम हुआ। इस संबंध में अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह समय का विस्तार केवल मौजूदा लाइसेंस के रूपांतरण के लिए है और न कि नए आवेदकों के लिए। यह विस्तार एफबीओ कि रक्षा नहीं करता जो खाद्य कानून तोड़ रहे है, राज्यों को आगे आना चाहिए और एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए नगर निगम के अधिकारियों को शामिल करना मुश्किल था, अतः प्रभावी कार्य के लिए एक विशेष कार्यबल बनाया जाना चाहिए।

2. गोवा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डीओ, 12 एफएसओ, 2 एओ और 2 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 8482 पंजीकरण और 1471 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला थी लेकिन यह एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं थी।

च) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा ने कहा कि मोबाइल परीक्षण सुविधा के लिए उन्हे सहयोग की आवश्यकता थी जिससे दूरदराज के क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि उन्हे एफएसएसएआई के एक पैनल के लिए आवश्यकता थी जो एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने में उनके प्रयोगशालाओं की सहायता कर सके।

3. गुजरात

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 29 डीओ, 150 एफएसओ, 2 एओ और 10 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 74,231 पंजीकरण और 27,871 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन किया।

ङ) हर साल एफएसओ के 25 नए पदों का सृजन किया जा रहा था।

च) जागरूकता गतिविधियों को नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा था।

छ) मोबाइल परीक्षण वैन भी क्रियाशील थी।

ज) नौ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं अधिसूचित थी उनमे से 2 एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं।

4. तमिलनाडु

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डीओ, 385 एफएसओ और 6 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 2,03,869 पंजीकरण और 29,121 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अभी तक नहीं हुई है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) एक जिला प्रयोगशाला और तीन राजकीय खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की लेकिन उनमें से कोई भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

च) वे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एफबीओ और एफएसओ का एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।

5. दिल्ली

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 डीओ, 21 एफएसओ, 11 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) राज्य की एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) वे जून, 2013 तक ऑनलाइन लाइसेंसिंग शुरू करेंगे।

6. उड़ीसा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 36 डीओ, 38 एफएसओ और 30 एओ को अधिसूचित किया गया।

ख) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रिया जारी है।

ग) एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को अधिसूचित किया है।

घ) खाद्य विश्लेषक की अनुपलब्धता भोजन के नमूना विश्लेषण में समस्याएं पैदा कर रहा है।

ङ) वे 15 दिनों के भीतर लाइसेंस और पंजीकरण पर रिपोर्ट जमा करेंगे।

7. हिमाचल प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 11 डीओ, 9 एफएसओ, 10 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 59,474 पंजीकरण और 20,233 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन किया।

ङ) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की लेकिन यह एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

च) राज्य में एफबीओ की संख्या पता करने के लिए पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से एफबीओ का सर्वे शुरू किया गया।

छ) वे पंजीकरण प्रक्रिया के लिए लोक मित्र केन्द्र के साथ शामिल हुए।

8. जम्मू और कश्मीर

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 25 डीओ, 70 एफएसओ, 23 एओ और 2 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 44436 पंजीकरण और 3584 लाइसेंस जारी किये।

ग) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए एफएसएसएआई सलाहकारो की आवश्यकता है।

9. असम

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 5 डीओ, 16 वरिष्ठ एफएसओ, 27 एफएसओ, 27 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 1072 पंजीकरण और 2752 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अभी तक नहीं हुई है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की।

च) राज्य को उनकी प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए एफएसएसएआई से सहायता की आवश्यकता है।

10. मध्य प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 50 डीओ, 180 एफएसओ, 50 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 49,187 पंजीकरण और 10,873 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति की गठन प्रक्रिया जारी है।

ङ) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की।

च) 4.5 करोड़ रुपये के गुटके को जब्त किया।

छ) लाइसेंस और पंजीकरण के लिए 26 जिलों में प्रशिक्षण पूरा किया।

ज) खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एफएसएस अधिनियम में वाहनों की बरामदगी और जब्त संपत्ति के निराकरण का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेन से आने वाले गुटके को जब्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह रेलवे के अंतर्गत आता है, और इसलिए रेलवे के एफएसओ इस जब्ती के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, उन्होने अनुरोध किया है कि उनके एफएसओ को इसको भी जब्त करने का अधिकार देना चाहिए और इस तरह से अधिनियम समानता से लागू किया जा सकता है। अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी कि एक व्यापक दिशानिर्देश एफएसओ के लिए तैयार किया जा रहा है।

11. कर्नाटक

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 33 डीओ, 80 एफएसओ, 30 एओ और 8 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 29,034 पंजीकरण और 13,923 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) पाँच राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की।

च) उन्होने तालुका स्तर पर जागरूकता फैलाने वाले अभियान के लिए प्राधिकरण से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया।

12. पश्चिम बंगाल

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 19 डीओ, 40 एफएसओ, 16 एओ और 2 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 17621 पंजीकरण और 4976 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अभी तक नहीं हुई है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की लेकिन यह एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

च) ब्लॉक स्तर पर एफएसओ के पदों के सृजन का काम चल रहा है।

13. उत्तराखंड

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 14 डीओ, 30 एफएसओ, 13 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 22,017 पंजीकरण और 2924 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन किया।

ङ) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की।

14. उत्तर प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 75 डीओ, 287 एफएसओ, 75 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 98638 पंजीकरण और 22861 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) पांच खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की।

15. छत्तीसगढ़

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 27 डीओ, 13 एफएसओ, 27 एओ और 2 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 1,041 पंजीकरण और 1,797 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हो चुकी है लकीन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की।

16. मेघालय

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 उपायुक्त, 3 डीओ, 5 एफएसओ और 7 एओ को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 475 पंजीकरण और 517 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

घ) राजकीय और जिला स्तर पर संचालन समिति का गठन किया।

ङ) खाद्य विश्लेषक का पद खाली है।

च) राजकीय खाद्य प्रयोगशाला कार्यात्मक नहीं थी।

छ) राज्य ने एफएसएसएआई वेबसाइट पर सेवा नियमों को अपलोड करने का अनुरोध किया।

17. पंजाब

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 20 डीओ, 20 एफएसओ और 11 एओ को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 47,079 पंजीकरण और 6,601 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अभी तक नहीं हुई है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की लेकिन यह एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

च) राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण की सेवाएँ खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए उपयोग की जा रही है।

18. आंध्र प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डीओ, 51 एफएसओ, 23 एओ और 8 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 40,195 पंजीकरण और 20,228 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया।

ङ) एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की लेकिन यह एनएबीएल मान्यता प्राप्त थी।

19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 3 डीओ, 18 एफएसओ और 3 एओ को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 3394 पंजीकरण और 331 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हुई।

घ) संचालन समिति का गठन हुआ।

ङ) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना हुई।

च) केन्द्र शासित प्रदेश खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति का सामना एक प्रमुख समस्या के रूप मे कर रहे है।

छ) वे आगे अनुरोध करते है कि केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रयोगशाला नामित हो जहाँ वो भोजन के नमूने भेज सकते हों।

20. मणिपुर

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 डीओ, 9 एफएसओ और 9 एओ को अधिसूचित किया गया।

ख) 50,000 अनुमानित खाद्य व्यापार ऑपरेटर है।

ग) अभी तक 2205 पंजीकरण और 304 लाइसेंस जारी किये।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

ङ) संचालन समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है।

च) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की लेकिन एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

21. हरियाणा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 21 डीओ, 11 एफएसओ और 21 एओ को अधिसूचित किया गया।

ख) एक खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ग) अभी तक 6275 पंजीकरण और 2662 लाइसेंस जारी किये।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

ङ) संचालन समिति का गठन नहीं किया।

च) दो राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की लेकिन दोनों एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

22. झारखंड

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 24 डीओ, 11 एफएसओ और 194 एमयू प्रभारी एफएसओ के रूप में कार्यरत और 24 एओ को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 3051 पंजीकरण और 1416 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन नहीं किया।

ङ) एक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की लेकिन यह एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

23. राजस्थान

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 42 डीओ, 98 एफएसओ, 48 एओ और 7 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 71277 पंजीकरण और 23316 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति का गठन किया।

ङ) तेरह राजकीय खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई।

24. केरल

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 14 डीओ, 80 एफएसओ, 14 एओ और 9 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 139094 पंजीकरण और 24186 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

घ) संचालन समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है।

ङ) तीन राजकीय खाद्य प्रयोगशालाओं और एक जिला प्रयोगशाला की स्थापना की लेकिन ये एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

25. मिज़ोरम

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 3 डीओ और 12 एफएसओ को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 115 पंजीकरण और 228 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं हुई है।

घ) संचालन समिति का गठन किया।

26. चंडीगढ़

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 डीओ, 3 एफएसओ, 1 एओ और 3 खाद्य विश्लेषक को अधिसूचित किया गया।

ख) अभी तक 2 पंजीकरण और 1871 लाइसेंस जारी किये।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हुई।

घ) संचालन समिति का गठन हुआ।

ङ) पंजाब और हरियाणा की राजकीय खाद्य प्रयोगशाला को खाद्य विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया।

सुश्री शाहाना चटर्जी, अमरचंद और मंगलदास और सुरेश ए. श्रोफ्फ और कै. ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रवर्तन, कार्यान्वयन और निर्वचन के बारे में एक प्रस्तुति दी।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात ने प्रकाश डाला कि नमूना विश्लेषण के एसओपी पर चर्चा के लिए सभी खाद्य विश्लेषकों के लिए एक सामान्य प्रशिक्षण सह संबंधीकरण आयोजित किया जा सकता है।

श्री रघु गुडा, एनआईएसजी ने कहा कि 5वीं सीएसी के दौरान, एफएसएसएआई ने एक प्रणाली को देश भर में विकसित करने का फैसला किया। इसका प्रमुख हिस्सा देश भर में सभी एफबीओ की

मैपिंग करना है। अनुकूलन घटक केंद्रीय भुगतान गेटवे से एफबीओ द्वारा किया गया भुगतान को सुनिश्चित करेगा जो कि राज्यों के खाते में जमा होगा। यहाँ पर सुझावों और सवालों के जवाब के लिए विकसित की गई एक ऑनलाइन मदद प्रणाली भी है। उन्होने मैन्युअल रूप से जारी किए लाइसेंस को अपलोड करने पर ज़ोर दिया। गोवा केवल एक ऐसा राज्य है जहां यह प्रक्रिया की जा रही है।

अध्यक्ष ने सभी एफएसओ और डीओ को अगले कुछ महीनों में प्रशिक्षित करने के महत्व का उल्लेख किया जिससे अधिनियम पूरे देश में आसानी से और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि न्याय निर्णयन प्रक्रिया समान रूप से लागू किया जाना चाहिए और राज्यों द्वारा सीएमओ, डीएचएस आदि को नियुक्त किया जा सकता है। प्राधिकरण उन राज्यों से मदद ले सकता है जो अन्य राज्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं क्योकि वे ज्यादा प्रायोगिक ज्ञान ले रहे होंगे। अधिनियम को सरल करने के लिए पुस्तिकाएं को बनाया जा रहा था जिससे अधिनियम को आसानी से समझा जा सके, इनको देश भर में परिसंचारी से पहले सुझाव के लिए राज्यों को परिचालित किया जाएगा।

कार्यसूची संख्याः 3.1 – राज्यों में केंद्रीय लाइसेंस का प्रवर्तन (केंद्रीय लाइसेंस से संबंधित प्रवर्तन के लिए राज्य डीओ, एफएसओ का उपयोग।)

अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि केंद्रीय लाइसेंस के तहत एफबीओ की निगरानी सहित अधिनियम का संपूर्ण प्रवर्तन करने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र ने सुझाव दिया कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने आगे कहा कि प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय लाइसेंस के तहत एफबीओ की सूची भी जारी की जानी चाहिए। अध्यक्ष ने इन सुझावों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

कार्यसूची संख्याः 3.2 – न्याय निर्णयन प्रक्रिया

अध्यक्ष ने सूचित किया कि अधिनियम की बेहतर समझ के लिए नियमावली तैयार हो रही है। अन्य स्टाफ को प्रशिक्षित करने से पहले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता होगी।

कार्यसूची संख्याः 3.3 – लाइसेंसिंग/पंजीकरण

खाद्य व्यापार ऑपरेटरों के लाइसेंस और पंजीकरण को पूरा करने के लिए एक साल का एक्सटेंशन दिया गया।

कार्यसूची संख्याः 3.4 – राज्यों में संगठनात्मक संरचना

अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि सभी राज्यों के संगठनात्मक संरचना में एकरूपता होनी चाहिए, और खाद्य सुरक्षा संगठनात्मक संरचना में नियुक्ति के लिए अलग से पदों को बनाने की जरूरत है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि इस संबंध में एक पत्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए भेजा जा सकता था।

कार्यसूची संख्यः 3.5 –एफएसएस अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन में पंचायतों, नगर पालिकाओं और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी

अध्यक्ष ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र ने राज्य खाद्य आयुक्त के साथ पंजीकरण जारी करने गतिविधियों को केंद्रित करने वाले पॉइंट को अच्छी तरह से लिया, हालांकि इस मुद्दे की स्वीकृति से पहले इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है।

कार्यसूची संख्याः 3.6 और 3.15 – बारहवीं योजना के लिए प्रस्ताव और सार्वजनिक/राज्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन पर एफएसएसएआई की रणनीति

बारहवीं योजना के प्रस्ताव की चर्चा निदेशक (कोडेक्स और एफए) द्वारा विस्तार से की गई। उन्होने उल्लेख किया कि बारहवीं योजना के तहत प्राधिकरण को 2350 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, और इसको केन्द्र क्षेत्र योजना (850 करोड़ रुपए) और केंद्रीय प्रायोजित योजना (1500 करोड़ रुपए) में विभाजित किया गया था। प्राधिकरण बुनियादी ढांचे को बनाने और प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए राज्यों को केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत पूंजी उपलब्ध कराएगा। उन्होने यह भी उल्लेख किया कि पूंजी को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और बाकी सभी राज्यों को 75:25 के अनुपात में आवंटित किया जाएगा।

सलाहकार (मानक) ने प्रयोगशालाओं के उन्नयन के प्रस्ताव पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि हमारा पहला कदम कोडेक्स मानकों के अनुरूप मानक बनाना है जिसको पहले ही शुरू कर दिया गया है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सटीक परीक्षण तकनीक वाली प्रयोगशालाओं कि जरूरत थी। यहाँ पर 72 सार्वजनिक प्रयोगशालाओं थी और पहले वर्ष में 36 प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जाएगा और बाकी 36 को अगले वर्ष लिया जाना है। उन्होंने बताया कि 2–3 क्षेत्रों में अनुबंध के आधार पर श्रमशक्ति को नियुक्त करने की जरूरत थी जो कि राज्यों की उन्नयन प्रक्रिया में मदद करेंगी। आगे की कार्यसूची नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी, एक नई प्रयोगशाला हर 20 जिलों में स्थापित करना। यह बारहवीं योजना के अंत तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एफएसएसएआई

यूएसएफडीए के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी योजना बना रहा था। इससे प्रयोगशालाओं को परीक्षण के तरीके विकसित करने और उनको मान्य करने में मदद मिलेगी और फिर वे एनएबीएल मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र ने आगे कहा कि बारहवीं योजना में आवंटित धनराशि की तुलना में एनएबीएल मान्यता को अधिक धनराशि की आवश्यकता है। इस संबंध में सलाहकार (मानक) ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रयोगशाला को सभी मापदंडों के लिए एनएबीएल प्रत्यायन लेने की जरूरत नहीं है। डॉ वसिरेड्डी, वीआईएमटीए प्रयोगशालाओ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने आगे कहा कि एनएबीएल मान्यता सरल और प्राप्त करने योग्य है। गुणवत्ता मैनुअल सभी एसओपी को शामिल करके तैयार हो सकती है और एक छोटा समूह तैयार हो सकता है जो प्रयोगशालाओं को एसओपी प्रक्रियाएं समझने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि 25 प्रतिशत धनराशि बुनियादी सुविधाओं के लिए राज्यों द्वारा प्रदान की जा सकती है और बाकी 75 प्रतिशत एफएसएसएआई श्रमशक्ति के लिए प्रदान कर सकता है। और आगे की योजना बनाने के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला में एक नेता की आवश्यकता है जो राज्यों के साथ कार्य को आरंभ करे और बारहवीं योजना के तहत आवंटित राशि के विषय मे मंथन सत्र को आयोजित करा सके। सलाहकार (मानक) ने डॉ वसिरेड्डी और राज्यों से ऐसे नेताओं की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने का अनुरोध किया।

निदेशक (कोडेक्स और एफए) ने आगे राज्यों में खाद्य सुरक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना के घटक के लिए आवंटित राशि के बारे में सविस्तार बताया। राज्यों को आधारभूत बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, निगरानी और ई–गवर्नेंस के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यसूची संख्याः 3.7 – राज्यों में लाइसेंस/पंजीकरण सहित एफएसएस अधिनियम के रोल आउट के प्रवर्तन गतिविधियों के लिए शासन संरचना

कार्यसूची पर चर्चा की गई थी और यह सुझाव दिया था कि राज्य के मुख्य सचिव राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में और उपायुक्त को जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो।

कार्यसूची संख्याः 3.8 – उत्पाद के अनुमोदन के बाद जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में स्पष्टीकरण

अगली सीएसी बैठक में कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी।

कार्यसूची संख्याः 3.9 – पीएफए अधिनियम, 1954 के अंतर्गत दायर किए गए लंबित कोर्ट मामले

अध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि पूरे देश भर में बहुत अधिक संख्या मे कोर्ट मामले लंबित है जो कि पुराने पीएफए अधिनियम, 1954 और उसके नियम के अंतर्गत दायर किए गए है। यह देखा गया है कि कुछ उदाहरणों में मामले कोर्ट मे 20 साल से है। इन मामलों को जल्द से जल्द, कानूनी तौर पर जहां संभव हो, हल किया जाना चाहिए जिससे नए अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

कार्यसूची संख्याः 3.10 – राज्यों मे प्रशिक्षण क्रियाएँ

अध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि नए प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास की प्रक्रिया जारी है और अगले 6–8 महीनों में इसको पूरा किया जाएगा। प्रशिक्षण को विशिष्ट होने और अधिनियम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। नियामकों के प्रशिक्षण का पूरे वर्ष का कार्यक्रम एफएसएसएआई द्वारा विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में एफएसएसएआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को लिखेगा। डॉ वसिरेड्डी ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण वीडियो दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडु ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से पहले संदेशो को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

कार्यसूची संख्याः 3.11 – हितधारकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच जागरूकता फैलाना

अध्यक्ष ने श्री डेसिकन, संस्थापक ट्रस्टी, कॉन्सर्ट और भारतीय उपभोक्ता संघ को कार्यसूची पर अवलोकन के लिए आमंत्रित किया। श्री डेसिकन ने कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हम बस अधिनियम के प्रवर्तन पर निर्भर नहीं कर सकते, इसके लिए उचित जागरूकता पैदा किए जाने की जरूरत है। उन्होंने उनके संगठन द्वारा लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के अपने अनुभव साझा किया जिसमे एक मोबाइल वैन भी शामिल है जो सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, बाजारों, स्कूलों और कॉलेजों को कवर करती है। जागरूकता फैलाने के भाग के रूप में उन्होंने 5 मिनट की फिल्मों को तैयार किया था। खाद्य सुरक्षा समर्थकों की पहचान की गयी थी, जो अच्छे खाने की आदतों, प्रदूषण आदि जैसे मुद्दों के बारे में अन्य लोगों के बीच जागरूकता फैलाते है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि इस मॉडल को जागरूकता फैलाने के लिए राज्यों द्वारा दोहराया जा सकता था। पूरा अधिनियम उपभोक्ताओं के संग्रहण पर निर्भर करता है। एफबीओ को इस अधिनियम के

महत्व और इसके अंतर्गत आने वाले लाइसेंस और पंजीकरण के बारे में शिक्षित किया जाना था। राज्य भी जागरूकता पैदा करने के लिए अपने स्वयं के विचारों के साथ आगे आ सकता है और इन विचारों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए।

कार्यसूची संख्याः 3.12 – नमूना संग्रहण पर नागरिक सशक्तिकरण

अध्यक्ष ने सूचित किया कि प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जायेगा और नमूनों को निकलने के संधर्व मे राज्यों को सूचित किया। श्री डेसिकन ने सुझाव दिया कि प्रत्येक खाद्य सुरक्षा आयुक्त के लिए एक टोल फ्री नंबर बनाया जा सकता है और उपभोक्ता संदिग्ध खाने के बारे में सूचित कर सकते हैं जिसकी विभाग द्वारा जाँच की जा सकती है।

कार्यसूची संख्याः 3.13 – 3–4 राज्यों से मिलकर बने फोकस समूह की जानकारी के साथ राज्यों मे लाइसेंसों के रोल आउट होने पर एसओपी का विकसित किया जाना जो सक्रिय रूप से एफएसएसए लागू कर रहे हैं।

श्री रघु गुडा, एनआईएसजी ने कहा कि ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण के लिए डीओ को बुनियादी सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और यहां तक कि प्रशिक्षण के लिए भी।

कार्यसूची संख्याः 3.14 –एफएसएस अधिनियम, नियम और विनियमन पर प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि अधिनियम की जब्ती और निपटान के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। वाहन जब्ती नियम भी अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यह पहचान के लिए सहायक होगा यदि उत्पाद की मंजूरी प्राप्त करने के बाद एनओसी संख्या भी लेबल पर उल्लेख की जाए।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडु ने उल्लेख किया कि सुगंधित किया हुआ पानी का मामला बहुत गंभीर था और इस संबंध में कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा ने भी उल्लेख किया कि अधिनियम में केवल एक ही कृत्रिम तरीके से पकाने का वर्णन है और संशोधन द्वारा अन्य तरीकों को भी शामिल किया जा सकता है। अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी और इसको सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगली सीएसी बैठक अगस्त, 2013 में निर्धारित हो सकती है और राज्यों को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

बैठक से प्राप्त सुझाव के क्रियान्वित बिन्दु : बैठक के दौरान विचार–विमर्श के आधार पर निम्नलिखित क्रियान्वित बिन्दु सामने आए।

1. यह सुझाव दिया गया था कि सीएसी बैठक में उनके राज्यों की अनुपस्थिति के बारे में राज्यों के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा जाना चाहिए।
2. सभी एफएसओ और डीओ को अगले आठ महीनों में समरूप प्रशिक्षण देना होगा। इसके लिए एफएसएसएआई द्वारा कार्यक्रम विकसित होना है।

3. एफएसएसएआई से एक पैनल गठित हो जो कि राज्य प्रयोगशालाओं को उनकी प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने में सहायता करे।

4. खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के लिए एसओपी को अंतिम रूप देने के संदर्भ में सभी खाद्य विश्लेषकों के प्रशिक्षण के लिए योजना बने।

5. मैन्युअल रूप से जारी लाइसेंस का अपलोड भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसे उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्येक राज्य को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए।

6. केंद्रीय लाइसेंस के तहत आने वाले एफबीओ सहित अधिनियम के प्रवर्तन के लिए राज्यों को जिम्मेदार होने की जरूरत है।

7. पुस्तिकाओं को एफएसएस अधिनियम को बेहतर समझ के लिए तैयार किया जा रहा था।

8. सभी राज्यों के संगठनात्मक संरचना में एकरूपता होने की और नियुक्ति के लिए अलग से पदों को बनाने की जरूरत थी।

9. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों में खाद्य सुरक्षा के बुनियादी ढांचे और प्रयोगशालाओं के उन्नयन की व्यवस्था को बनाने के लिए राशि आवंटित की थी। राज्यों को आधारभूत बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, निगरानी और ई–गवर्नेंस के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

10. नई प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, एक नई प्रयोगशाला हर 20 जिलों में स्थापित करना।

11. लंबित कोर्ट के मामलों को जो कि पीएफए अधिनियम, 1954 के तहत दायर हुए थे, को जल्द से जल्द हल किया जाना है।

बैठक सभी को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

.....

बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

अनुलग्नक–1

दिनांक 26 अप्रैल 2013 को एफएसएसएआई के चतुर्थ तल के सम्मेलन कक्ष, नई दिल्ली में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के साथ आयोजित बैठक के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे:

1. श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफएसएसएआई, दिल्ली
2. श्री एस दवे, सलाहकार (मानक), एफएसएसएआई, दिल्ली
3. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स), एफएसएसएआई, दिल्ली
4. कर्नल सीआर दलाल, निदेशक (निगरानी), एफएसएसएआई, दिल्ली
5. डॉ मीनाक्षी सिंह, वैज्ञानिक (मानक), एफएसएसएआई, दिल्ली
6. श्री प्रदीप चक्रवर्ती, निदेशक (पीए), एफएसएसएआई, दिल्ली
7. श्री ए.के.सिंगला, डीडी (प्रशिक्षण), एफएसएसएआई, नई दिल्ली
8. डॉ ए माधवन, एडी (ईएनएफ–1), एफएसएसएआई, नई दिल्ली
9. श्री ए. के. श्रीवास्तव, सलाहकार, एफएसएसएआई, नई दिल्ली
10. श्री एस.एन. संगमा, खाद्य सुरक्षा उप आयुक्त, मेघालय
11. श्री पदमालोचन बेहरा, अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा
12. श्री एस रामास्वामी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखंड
13. श्री पीयूष सिंह, संयुक्त आयुक्त, उत्तराखंड

14. श्री गणेश चन्द्र कंडवाल, नामित अधिकारी, उत्तराखंड
15. प्रो गोपाल नाईक, भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर (आईआईएमबी)
16. डॉ एस नगन्ना, निदेशक, स्मार्ट गवर्नमेंट राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद
17. श्री सतीश गुप्ता, नियंत्रक ड्रग्स एंड फूड, जम्मू और कश्मीर
18. श्री एस.एम. भारद्वाज, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा विभाग, नई दिल्ली
19. श्री एम के गुप्ता खाद्य सुरक्षा विभाग, नई दिल्ली
20. श्री प्रदीप चोर्डिया, चोर्डिया फूड प्रोडक्ट्स, पुणे
21. डॉ जे.एच. पनवल, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
22. श्री बी प्रशांत कुमार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, नई दिल्ली
23. सुश्री अनीता, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
24. श्री आर डेसिकन, संस्थापक ट्रस्टी, कॉन्सर्ट और भारतीय उपभोक्ता संघ, तमिलनाडु
25. डॉ राजेश कपूर, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दिल्ली
26. श्री डीडी अग्रवाल (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश
27. श्री डी.के. वीना, सीनियर एफएसओ, मध्य प्रदेश
28. श्री एस.के. वर्मा, उप आयुक्त, दादरा और नागर हवेली
29. श्री के.वी. सांखे, संयुक्त आयुक्त, एफडीए,
30. डॉ के. यू. मेथेकर, सीनियर एफएसओ, महाराष्ट्र
31. श्री हुस्सन लाल (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब
32. डॉ एच जी कोशिया, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
33. डॉ सतबीर, डीओ, चंडीगढ़
34. श्री वी बी यादव, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक, उत्तर प्रदेश
35. श्री रघुबीर, उप आयुक्त (प्रशासन), एफएसडीए, उत्तर प्रदेश
36. श्री सीवी सरेदा पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
37. श्री कुमार जयंत, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडु
38. श्री ए.के. ओझा, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, मंत्रालय नई दिल्ली
39. श्री अनिल कुमार, संयुक्त आयुक्त, केरल
40. डॉ एस.पी. वसिरेड्डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वीआईएमटीए लैब्स लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
41. डॉ अविजित राज, ओएसडी एफएसएसए, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप
42. श्री अशोक शर्मा, स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश
43. श्री सीएच सनवता, चिकित्सा डीएफसी, मणिपुर

44. श्री अनुपम गोगोई, खाद्य विश्लेषक, असम
45. डॉ एसएस तोमर, खाद्य विश्लेषक, छत्तीसगढ़
46. श्री बलबीर सिंह, खाद्य विश्लेषक, हरियाणा
47. श्री आर.के. सिंगला, राज्य औषधि उपनियंत्रक, हरियाणा
48. डॉ बी.के. पांडा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उड़ीसा
49. श्री अर्नब कु. हाजरा, निदेशक, फिक्की, नई दिल्ली
50. सुश्री मोनिका रावत, वरिष्ठ सहायक निदेशक, फिक्की, नई दिल्ली
51. श्री वी.बी. पाटिल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
52. डॉ जयकुमार, संयुक्त निदेशक, खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, कर्नाटक
53. डॉ टी.पी. बर्नवाल, चीफ निदेशक, झारखंड
54. श्री के.जे.आर. बर्मन (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
55. श्री ए सुधाकर राव, संयुक्त खाद्य नियंत्रक, आंध्र प्रदेश
56. श्री लाल सावमा, खाद्य सुरक्षा उपआयुक्त, मिजोरम
57. श्री पी.एन. खत्री, नामित अधिकारी, नई दिल्ली
58. श्री पवन भटनागर, खाद्य सुरक्षा और मानक, नई दिल्ली
59. श्री आई.एम. मूर्ति, महाप्रबंधक, एनआईएसजी
60. श्री श्रीधन, एनआईएसजी
61. श्री रघु गुडा, महाप्रबंधक, एनआईएसजी
62. सुश्री अनीता मखीजानि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
63. श्री जीएन सिंह, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नई दिल्ली
64. श्री के.बी. सुब्रमण्यम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
65. श्री देबाशीष बोस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल
66. श्री सुनीति कुमार गुप्ता, नामित अधिकारी, नई दिल्ली
67. श्री सलीम ए वेल्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा
68. श्री महेश जगाड़े (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र
69. श्री अमित प्रकाश वर्मा, एफएसओ, उत्तर प्रदेश
70. डॉ वाई.सी. निझावन, मुख्य निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली
71. डॉ आदित्य अत्रेय, संयुक्त निदेशक, एफएसएसए, राजस्थान

* यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिभागियों के नाम उपस्थिति सूची में दर्ज क्रम में व्यवस्थित किए गए है और इनमें वरिष्ठता क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है। नाम की वर्तनी में यदि कोई भूल है, तो उसके लिए खेद है।